

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 जनवरी 2013—माघ 10, शक 1934

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2013

अधि. क्र. 42-एफ-1-23-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतदद्वारा, नगरपालिका भिण्ड में निम्नांकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक जो भी पहले हो, तक एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है:—

क्र. (1)	नगरपालिका का नाम व जिला (2)	एल्डरमेनों का नाम एवं पता (3)
1.	नगरपालिका, भिण्ड	1. श्री अजय शर्मा, सब्जी मंडी, भिण्ड 2. श्री शम्भूदयाल शाक्य, भारोली रोड, जिला भिण्ड 3. श्री मनोज सिंह कुशवाह, महावीरगंज, भिण्ड 4. श्रीमती मीना माहेश्वरी, महावीर चौक, भिण्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव,